बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक–05/स्था0 (आरोप)–01/2016....5397/परि0 पटना, दिनांक..6/9/16

श्री विनोद कुमार, मोटर यान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) अतिरिक्त प्रभार–मोटर यान निरीक्षक, अरवल को निगरानी टीम द्वारा अरवल में गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या–1479 दिनांक–17.03.2016 द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की तिथि 13.03.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

दिनांक 16.04.2016 को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद श्री कुमार द्वारा दिनांक–20.05.2016 को परिवहन विभाग में योगदान देने की तिथि सें उन्हें निलंबन–मुक्त किया जाता है।

2. चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध सरकारी राजस्व एवं वित्तीय मामलों में वाह्य व्यक्ति को सम्मिलित कर उनके माध्यम से विभागीय कार्य निष्पादित कराने का आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया है और उनको पुनः पदस्थापित किये जाने से उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा सकता है, अतः बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –9(3)(ग) के तहत इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –9(10) के अनुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना(प्रशाखा–05) निर्धारित किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

ह0/–

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग,बिहार,पटना।

निबंधित/इमेल ज्ञापांक–05/स्था0 (आरोप)–01/2016.....5397/परि0 पटना, दिनांक.. 6/9/16

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा)/अरवल/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/अरवल तथा श्री विनोद कुमार, निलंबित मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग,बिहार,पटना।